STAZIA Q408 HB page H6 01._ 03 05 02 - 07 (iii) 12 04 -09 04. 05 -378,51160 02 16 - 37 17 - 34 -08 38 - 01. (51312 7 395 मगद्देश की द्वार रूप 20 -(101(413) 311461 90181-5 25- - 09 30 -26 - 03 31 21 - 05-21 03 13 -Z 26 -

अ तिवक महत्त्व है। जेन्द्र नेता का पत्र पत्र महत्त्व महत्त्व महत्त्व है।

विकार के समामाति जागत् एक प्राची जागत् हथारे अस्तित्व के सिमा

पया आवश्यक है?

उत्तर—वनस्पति वगत् एवं प्राणी जगत् इमारे आरताव के लिए आवात आवश्यक है। मानव ओवन के लिए इसकी अनेक उपयोगिताई है। बच्चायति वगत ही वातावरण की गुणवसा विश्वादित करते हैं। वैश्वे कार्यन ठाई ऑक्साइड की पाम को संतुत्तित करणा, वर्षा को आकर्षित करणा, विद्ति अपरान को रोकणा, पतियों की खाद ग्रास पिद्ती की उर्वरता को बचाणा आदि। इसके साथ साथ ये हमें अनेक प्रकार के वन उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं।

इसी तरह प्राणी जगर भी हमारे अरिकल के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक प्रजाति का पारिश्वितिक पत्र के समाज संवालक पे योगदान है। सभ्यता के विकास में विभिन्न प्राणियों का साम्योग है। पत्रूच अपने आहार एवं कृषि-कार्य के लिए विभिन्न प्राणियों पर आवित है। यूथ, मौस, ऊन, पमदा आदि के लिए प्रमुख पशुओं पर ही विभी है।

इस प्रकार, हमारे अधिताच को लिए बनव्यति जगत् तथा प्राणी शेवाँ

का होया अधियार्थ है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्- िलोकतंत्र किसे कहा जाता है? उत्तर-एक ऐसी शासन-व्यवस्था, जिसमें शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता हैं एवं शासन जनता के हित में होता है, लोकतंत्र कहलाती है। इस व्यवस्था में स्वतंत्रता तथा समानता का विशेष महत्त्व होता है। को मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गयी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक होता है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान एवं अन्य लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है।

ल्घु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1 मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है? उत्तर – मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिनका उल्लेख संविधान में रहता है। इन्हीं अधिकारों

प्रश्न (2.) भारतीय नागरिकों के मीलिक कर्त्तव्यों का वर्णन करें। उत्तर-मूल संविधान में नागरिकों के कर्त्तव्य निश्चित नहीं थे। 1976 में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा पहली बार नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गए है। भारतीय नागरिकों के लिए ग्यारह मौलिक कर्तव्य जोड़े गए है, जो निम्नलिखित है:-

संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान का आदर (i)

करना।

(ii) राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रोत्साहित करने वाले आदशों का पालन करना।

(iii) देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना।

(iv) सभी भेदभाव समाप्त कर भाईचारा बढाना।

(v) भारतीय संस्कृति की रक्षा करना।

(vi) वन, झील, नदी एवं जंगली जीवों की रक्षा करना।

(vii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढावा देना।

(viii) देश की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना।

(ix) सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना।

(x) राष्ट्र के अधिकतम विकास के लिए कदम उठाना।

माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।